प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1 जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर
प्र. ई. रि. स. – 343/22 दिनांक – 31/8/2022
2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7,
(ब) अधिनियम – .... धाराये – ....
(स) अधिनियम – .... धाराये – ....
(द) अन्य अधिनियम – धाराये – 120 बी आईपीसी
3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 575 समय – 6:20 P.M.
ब अपराध के घटने का दिन – बुधवार, दिनांक – 03.08.2022 समय –07.12 पी.एम.
स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 02.05.2022 समय – 02.30 पी.एम.
4. सूचना की किस्म – लिखित / मौखिक – लिखित।
5. घटना स्थल –
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख पश्चिम 120 किलोमीटर लगभग
(ब) पता :– पुलिस थाना सायला जिला जालोर।
बीट संख्या जरायमदेही संख्या
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....
6. परिवादी का नाम
1. (अ) नाम – मोडसिंह (ब) पिता / पति का नाम – श्री खुशालसिह
(स) जन्म तिथि / वर्ष – 42 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
(य) व्यवसाय – खेतीबाडी,
(र) पता – ग्राम पोस्ट चोराउ तहसील सायला जिला जालोर।
7 ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–
1. श्री छतराराम पुत्र श्री रतनाराम निवासी ग्राम गोंग थाना रानीवाडा जिला जालोर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना सायला जिला जालोर।

2 श्री ध्रुवप्रसाद पुत्र श्री भंवरूराम निवासी ग्राम तेजमालता वाया सांगड जिला जैसलमेर हाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना सायला जिला जालोर।

8- परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही

9 चुराई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टिया – शुन्य

10 चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मूल्य – ....

11. पंचनामा / यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)........... कोई नही..... .
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट...

[signature]

सेवा में,

श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
विशेष ईकाई जोधपुर

विषय :- रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत्।

महोदयजी,

सविनय नम्र निवेदन यह है कि मैं मोडसिंह पुत्र श्री खुशालसिंह उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट चौराउ तहसील सायला जिला जालोर को रहने हूं। मेरे पिता जी श्री खुशाल सिंह जी का एक पुश्तैनी भू-खण्ड ग्राम चौराउ में था जो मेरे पिता जी के वर्ष 2014 में स्वर्गवास हो जाने पर मेरी माता श्रीमती सरो कंवर के नाम वर्ष 2019 में पटटा पंचायत समिति सायला द्वारा जारी किया गया। जिसको बाद में मेरी पत्नी ममता के नाम बेचान किया गया। दिनांक 23.06.2021 को पुलिस थाना सायला में श्री बलवन्तसिंह द्वारा मेरे व सरपंच व अन्य के विरूद्ध एक झूठा मुकदमा संख्या 118/2021 दर्ज करवाया गया। जिसकी जांच श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना सायला जिला जालोर कर रहे है, मेरे इस झूठे प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2021 को गिरफतारी पर रोक का आदेश पारित हुआ है। मेरे इस प्रकरण में पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना सायला श्री ध्रुव प्रसाद एफआर लगाने की एवज मे मुझसे एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है एवं मुझे धमकाया है कि समय पर पैसे लाकर नहीं दिये तो तुम्हारे प्रकरण में चालान करेगें। श्रीमान मेरे विरूद्ध यह प्रकरण पूर्ण रूप से झूठा दर्ज किया गया है एवं पुलिस थानाधिकारी सायला श्री ध्रुव प्रसाद व अनुसंधान अधिकारी श्री चतराराम सहायक पुलिस उप निरीक्षक मुझसे प्रकरण मे एफआर लगाने की एवज में एक लाख रूपये की रिश्वत मांग रहे है जो मैं देना नहीं चाहता हूं, बल्कि रिश्वत लेते हुए उक्त दोनों को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी श्री ध्रुव प्रसाद थानाधिकारी पुलिस थाना सायला जिला जालोर एवं अनुसंधान अधिकारी श्री चतराराम सहायक पुलिस उप निरीक्षक से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है एवं ना ही कोई व्यक्तिगत लेन-देन बकाया है। कानूनी कार्यवाही करावें। प्रार्थना पत्र के साथ मेरे परिचय पत्र की फोटो प्रति एवं आवश्यक दस्तावेज पेश कर रहा हूं।"

दिनांक:- 02.05.2022

भवदीय
एसडी मोडसिंह
मोडसिंह पुत्र श्री खुशालसिंह
निवासी ग्राम पोस्ट चौराउ तहसील
सायला जिला जालोर
मोबाईल नम्बर 9828483002

कार्यवाही पुलिस, दिनांक 02.05.2022 समय 2.30 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री मोडसिंह पुत्र श्री खुशालसिंह कार्यालय हाजा उपरोक्त टाईपशुदा रिपोर्ट के साथ उपस्थित आया। मजमून रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

एसडी दिनेश भाटी
04.08.2022

एसडी सुरेन्द्रसिंह
04.08.2022

एसडी दुर्गसिंह राजपुरोहित
अति पुलिस अधीक्षक
एसीबी, एसयू जोधपुर
02/05/2022

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 02.05.2022 समय 02.30 पी.एम.

दिनांक 02.05.2022 को समय 02.30 पी.एम. पर परिवादी श्री मोडसिह पुत्र श्री खुशालसिंह जाति राजपूत उम्र 42 साल निवासी ग्राम पोस्ट चौराउ तहसील सायला जिला जालोर ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर में उपस्थित होकर एक टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट मन डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि " सविनय नम्र निवेदन यह है कि मैं मोडसिंह पुत्र श्री खुशालसिंह उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट चौराउ तहसील सायला जिला जालोर को रहने हूं। मेरे पिता जी श्री खुशाल सिंह जी का एक पुश्तैनी भू–खण्ड ग्राम चौराउ में था जो मेरे पिता जी के वर्ष 2014 में स्वर्गवास हो जाने पर मेरी माता श्रीमती सरो कंवर के नाम वर्ष 2019 में पटटा पंचायत समिति सायला द्वारा जारी किया गया। जिसको बाद में मेरी पत्नी ममता के नाम बेचान किया गया। दिनांक 23.06.2021 को पुलिस थाना सायला में श्री बलवन्तसिंह द्वारा मेरे व सरपंच व अन्य के विरूद्ध एक झूठा मुकदमा संख्या 118/2021 दर्ज करवाया गया। जिसकी जांच श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना सायला जिला जालोर कर रहे है, मेरे इस झूठे प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2021 को गिरफतारी पर रोक का आदेश पारित हुआ है। मेरे इस प्रकरण में पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना सायला श्री ध्रुव प्रसाद एफआर लगाने की एवज में मुझसे एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है एवं मुझे धमकाया है कि समय पर पैसे लाकर नहीं दिये तो तुम्हारे प्रकरण में चालान करेगें। श्रीमान मेरे विरूद्ध यह प्रकरण पूर्ण रूप से झूठा दर्ज किया गया है एवं पुलिस थानाधिकारी सायला श्री ध्रुव प्रसाद व अनुसंधान अधिकारी श्री चतराराम सहायक पुलिस उप निरीक्षक मुझसे प्रकरण में एफआर लगाने की एवज में एक लाख रूपये की रिश्वत मांग रहे है जो मैं देना नहीं चाहता हूं, बल्कि रिश्वत लेते हुए उक्त दोनों को रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरी श्री ध्रुव प्रसाद थानाधिकारी पुलिस थाना सायला जिला जालोर एवं अनुसधान अधिकारी श्री चतराराम सहायक पुलिस उप निरीक्षक से कोई व्यक्तिगत दूश्मनी नहीं है एवं ना ही कोई व्यक्तिगत लेन--देन बकाया है। कानूनी कार्यवाही करावें। प्रार्थना पत्र के साथ मेरे परिचय पत्र की फोटो प्रति एवं आवश्यक दस्तावेज पेश कर रहा हूं।" परिवादी की टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मालखाने से श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 से मंगवाकर परिवादी श्री मोडसिंह को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के सचालन की विधि से समझाईश की गई। श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 का परिचय परिवादी श्री मोडसिंह से करवाया गया।

वक्त 03.10 पी.एम. पर परिवादी श्री मोडसिंह नें बताया कि संदिग्ध अधिकारी अभी यहां पर नही है जिस पर परिवादी को आईन्दा संदिग्ध अधिकारी के उपस्थित आनें पर सम्पर्क करनें की हिदायत कर कार्यालय से रूखस्त किया गया।

दिनांक 02.08.2022 को वक्त 12.20 पी.एम. पर परिवादी श्री मोडसिह कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर में उपस्थित होकर मन डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर को बताया कि "मेरे द्वारा पूर्व में इस कार्यालय में एक गोपनीय कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दिनांक 02.05.2022 को पुलिस थाना सायला के पुलिस निरीक्षक श्री ध्रुवप्रसाद व श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक के विरुद्व दी थी। परन्तु आरोपीगण द्वारा मेरे से इतने दिन बात नही करनें के कारण मै कार्यालय में उपस्थित नही हो पाया। दिनांक 30.07.2022 को पुलिस थाना सायला से थानाधिकारी व स्टाफ ने मेरे प्लाट का विजिट करके मुझे थाने पर बुलाया था, जिस पर मैं दिनाक 31.07.2022 को पुलिस थाना सायला पर गया और चतराराम सहायक उप निरीक्षक से मिला तो उन्होनें मेरे व मेरे भाई से कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करवाये गये और बताया कि आपकी पत्नि से भी अनुसंधान करना है। साथ ही श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक नें मेरे से मेरे विरूद्व दर्ज प्रकरण मे एफ.आर. लगानें/मदद करनें की एवज में एक लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। जिस पर मै थानाधिकारी से भी मिला तो उन्होने भी पैसो की व्यवस्था कर जल्दी आने के लिये कहा। मै मेरे वैध कार्य के लिए अनुसंधान अधिकारी श्री चतराराम व श्री ध्रुवप्रसाद निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना सायला को रिश्वत नही देना चाहता हूं। जबकि इनके विरूद्ध मेरे द्वारा दी गई रिपोर्ट पर कार्यवाही करवाना चाहता हूँ"। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें श्री प्रकाश कानि. का पुनः परिवादी से परिचय करवाया गया, और मालखानें से डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 से मंगवाया गया।

वक्त 02.05 पी.एम.पर कार्यालय के श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी श्री मोडसिंह व आरोपीगण श्री ध्रुवप्रसाद निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना

सायला जिला जालोर व चतराराम सहायक उप निरीक्षक के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाकर लानें हेतु परिवादी श्री मोडसिंह को एवं श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 को परिवादी के निजी वाहन कार से पुलिस थाना सायला जिला जालोर के लिए कार्यालय से रवाना किया गया।

दिनांक 03.08.2022 वक्त 07.09 पी.एम.पर श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर 9460453110 पर अपनें मोबाईल नम्बर 8112297571 से कॉल कर बताया कि परिवादी व आरोपीगण के बीच मांग सत्यापन वार्ता हो चुकी है। आरोपीगण द्वारा परिवादी से एक लाख रूपये की मांग की हैं, परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 80,000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग फाईनल की गई है। परिवादी को रिश्वत राशि के साथ दिनांक 04.08.2022 को शाम. के समय पुलिस थाना सायला के लिए बुलाया है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री मोडसिह को रिश्वत राशि की व्यवस्था करने एवं कानि. प्रकाश को हिदायत दी गई कि देर रात होने से मुकीम सायला या आसपास ही रूकें एवं कल दिनांक 04.08.2022 को परिवादी को लेकर पर कार्यालय में उपस्थित आवें व अब तक की कार्यवाही को गोपनिय रखने की हिदायत की गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य राजकार्य मे व्यस्त रहने से ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी जोधपुर शहर से पुलिस निरीक्षक मनिष वैष्णव मय स्टाफ को कल सुबह कार्यालय पर उपस्थित आने के निर्देश दिये गये।

दिनांक 04.08.2022 वक्त 11.00 ए.एम. पर श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 व परिवादी श्री मोडसिंह दिनांक 02.08.2022 के रवाना शुदा पुनः कार्यालय हाजा उपस्थित आये व श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 ने कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर मन् अति. पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं व परिवादी मोडसिंह कार्यालय से दिनांक 02.08.2022 कों रवाना होकर पुलिस थाना सायला पहुंचे। जहां पर आरोपीगण की उपस्थिति के बारें में परिवादी से पता करवाया गया तों आरोपीगण की उपस्थिति पुलिस थाना पर नही थी। जिस पर मै व परिवादी रात्रि विश्राम हेतु सायला में ही मुकीम रहे। दिनांक 03.08.2022 कों पुलिस थाना सायला पर 11 ए.एम. पर पहुंचे। आरोपीगण की उपस्थिति पता करनें पर थाना पर नही थी। शाम को करीब 06.19 पी.एम. पर आरोपीगण की उपस्थिति थानें पर होनें पर मेरे द्वारा परिवादी को डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर पुलिस थाना सायला में रवाना किया गया। मै गोपनीय रूप से पुलिस थाने के आसपास ही अपनी उपस्थिति छिपा कर खडा रहा। समय करीब 07.12 पी.एम. पर परिवादी श्री मोडसिंह मेरे पास आया। मुझे कार्यालय का डिजीटल वाइस रिकार्डर परिवादी नें सुपुर्द किया। जिस पर मेरे द्वारा कार्यालय का रिकार्डर स्वीच आफ कर सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि मेरे व श्री ध्रुवप्रसाद निरीक्षक पुलिस व श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक के मध्य मांग सत्यापन वार्ता हो गई है। मेरे से आरोपीगण द्वारा 80,000 रूपये लेकर दिनाक 04.08.2022 को समय 06 पी.एम. से 07 पी.एम. के बीच बुलाया है। जिस पर श्रीमान को जरिये टेलिफोन हालात निवेदन किये, श्रीमान के निर्देशानुसार रात्री मुकीम सायला व आसपास रहा। परिवादी द्वारा रिश्वत की राशि की व्यवस्था हो जाने पर आज सुबह रवाना होकर श्रीमान के समक्ष उपस्थित हुए। जिस पर मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर को ऑन कर सुना गया तो परिवादी श्री मोडसिंह के प्रकरण में एफ.आर. लगानें/मदद करने की एवज में आरोपीगण के द्वारा एक लाख रूपये की मांग करना एवं परिवादी द्वारा बार--बार निवेदन करने पर फाईनल 80,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया हैं। कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित अपने पास रखा। आइन्दा रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रासकिप्ट तैयार की जावेगी। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिनांक 05.08.2022 कों अभियोजन स्वीकृति में विचार विमर्श हेतु जयपुर जानें के कारण उक्त ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस को स्पेशल यूनिट जोधपुर उपस्थित आनें हेतु पुर्व में निर्देशित किया किया गया था, जिस पर इस समय श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय एसीबी जोधपुर स्टाफ श्री रूपसिंह कानि. 593, श्री मगराज कानि. 141, श्री छैलाराम कानि46 एव ड्राईवर प्रेमसिंह 535 कार्यालय हाजा उपस्थित आये।

वक्त 11.20 ए. एम. पर कार्यालय कक्ष मे बैठे परिवादी श्री मोडसिंह से श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस का आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी श्री मोडसिंह के प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित पत्रावली मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी श्री मोडसिंह व आरोपीगण श्री ध्रुवप्रसाद निरीक्षक पुलिस व चतराराम सहायक उप निरीक्षक के मध्य दिनांक 03.08.2022 को रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है, सुपर्द किये गये। श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस को हिदायत दी गई कि परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करे।

वक्त 11.25 ए.एम. पर मन मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री मोडसिंह के प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी श्री मोडसिंह व आरोपीगण श्री ध्रुवप्रसाद निरीक्षक पुलिस व चतराराम सहायक उप निरीक्षक के मध्य दिनांक 03.08.2022 को रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया। जिससे आरोपीगण द्वारा परिवादी श्री मोडसिंह के विरूद्व पुलिस थाना सायला में दर्ज प्रकरण मे मदद करनें की एवज में 80,000 रूपयें रिश्वति राशि की मांग करना पाया गया है। जिस पर ब्यूरों की गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने पर श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 को सुपर्द कर दो गवाह लानें हेतु कार्यालय अधिशाषी

अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर के लिए रवाना किया गया। आईन्दा रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार की जावेगी।

वक्त 11.55 ए.एम. पर श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय जोधपुर से दो स्वतन्त्र गवाह लेकर उपस्थित आया। जिस पर उक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक नें अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो उन्होनें बारी–बारी से अपना परिचय श्री दिनेश भाटी पुत्र श्री माणकलाल भाटी जाति मेघवाल उम्र 31 साल निवासी 19/356 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड जोधपुर, मोबाईल नम्बर 8955620469 एवं श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 30 साल निवासी ग्राम साथिन तहसील पीपाड सिटी जिला जोधपुर हाल सहायक कर्मचारी कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर उप खण्ड प्रथम जोधपुर, मोबाईल नम्बर 7062400489 होना बताया। परिवादी श्री मोडसिंह जो पूर्व से ही कार्यालय में उपस्थित है। परिवादी श्री मोडसिंह तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान का आपसी परिचय करवाया गया एवं परिवादी श्री मोडसिंह के प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहो को पढकर सुनवाया गया व पढाया गया तथा कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमे परिवादी श्री मोडसिंह व आरोपीगण श्री ध्रुवप्रसाद निरीक्षक पुलिस व चतराराम सहायक उप निरीक्षक के मध्य दिनांक 03.08.2022 को रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है, उक्त रिकार्ड वार्ता के मुख्य मुख्य अंश दोनो गवाहान को सुनाया गया। जिस पर दोनो गवाहान ने अग्रिम कार्यवाही मे स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति प्रदान की। जिस पर परिवादी श्री मोडसिंह के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेजात पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अपने पास मे रखा।

वक्त 12.30 पी.एम.पर दोनों गवाहान के रू–ब–रू परिवादी श्री मोडसिंह पुत्र श्री खुशालसिंह जाति राजपूत उम्र 42 साल निवासी ग्राम पोस्ट चौराउ तहसील सायला जिला जालोर द्वारा रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी श्री मोडसिंह ने भारतीय मुद्रा के पॉच सौ रूपयें के 36 नोट व 2000 रूपयें के 31 नोट कुल राशि 80,000 रूपये पेश किये। परिवादी श्री मोडसिंह द्वारा प्रस्तुत नोटो पर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई गई। जिस पर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी लेकर आई तथा उक्त 80000 रूपये के नोटो पर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से अखबार के उपर रखकर नोटो पर हल्का–हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री मोडसिंह की जामा तलाशी गवाह श्री दिनेश भाटी से लिवाई जाकर मोबाईल फोन नम्बर 9828483002 परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 80,000 रूपये जो श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी श्री मोडसिंह के पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मोडसिंह को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर या मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस भ्र.नि. ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. 9530292476 पर रिश्वती राशि आदान–प्रदान होने की सूचना करे। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल मे श्रीमति सुशीला महिला कानि.103 के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया–प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वाली श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहा तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर सम्बन्धित गण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई।

वक्त 01.50 पी.एम. पर परिवादी श्री मोडसिंह को छोडकर समस्त ब्यूरो टीम व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के साबुन से साफ हाथ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने–अपने विभागीय परिचय पत्र एवं अपने–अपने मोबाईल फोन पास में रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा खर्चे के 5,000/– रूपये अपने पास रखे।

वक्त 02.08 पी.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501, श्री रूपसिंह कानि. 583, श्री मगराज कानि.141, मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री दिनेश भाटी, श्री सुरेन्द्रसिंह सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक श्री प्रेमसिंह कानि.535 एवं ब्यूरों के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली सहित एवं परिवादी श्री मोडसिंह मय श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63, श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265, श्री छैलाराम कानि. 46 को परिवादी की निजी वाहन कार से कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट जोधपुर से पुलिस थाना सायला जिला जालोर के लिए एक साथ ही रवाना हुए।

दिनांक 05.08.2022 वक्त 01.00 ए.एम. पर फारकर उपरोक्त के गय हुए मन मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री दिनेश भाटी श्री सुरेन्द्रसिंह मय ब्यूरो स्टाफ जरिये सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक श्री प्रेमसिंह कानि.535 एवं ब्यूरो के ट्रेप बॉक्स, लपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली सहित मय रिश्वति राशि 80,000/रूपये के लिफाफा के ग्राम सायला से वक्त 08.00.पी.एम. पर रवाना होकर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट जोधपुर उपस्थित आये और हालात इस प्रकार से है कि स्पेशल यूनिट जोधपुर से रवाना होकर समय करीब 07.05 पी.एम. पर पुलिस थाना सायला के पास पहुचे, जहा पर परिवादी द्वारा अपने किसी जानकार से मोटर साईकिल मंगवाई गई। परिवादी श्री मोडसिंह द्वारा पुलिस थानें में जाकर गोपनीय तरीके से पता किया गया तो श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक व श्री ध्रुवप्रसाद निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना सायला जिला जालोर पुलिस थानें में उपस्थित नही है। श्री ध्रुवप्रसाद पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना सायला जिला जालोर व श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक के पुलिस थानें में उपस्थित नही है जिस पर आज ट्रेप कार्यवाही होना सभव नही होने पर गवाह श्री सुरेन्द्रसिंह से परिवादी की पेन्ट की दाहिनी जेब से रिश्वति राशि निकाल कर एक सफेद लिफाफें में डलवाकर गाडी के डेस्क बोर्ड की दराज में रखवाई गई। परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता की हिदायत दी गई। आरोपीगण के पुलिस थाने पर उपस्थित होने/आरोपी का फोन आने पर तुरन्त मन निरीक्षक पुलिस को अवगत कराने की हिदायत देकर परिवादी का उसके निजी वाहन व मोटर साईकिल से रूखसत किया गया। इसके बाद समय 08 पी.एम. पर सायला कस्बा से रवाना होकर मय ब्यूरों जाब्ता के सरकारी वाहन से स्पेशल यूनिट जोधपुर पहुचा। गाडी के डेस्क बोर्ड की दराज से रिश्वति राशि 80,000 रूपये का सफेद लिफाफा मन् निरीक्षक पुलिस ने निकाल कर परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली व डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखवाई जाकर चाबी अपने पास रखी गई। ब्यूरों स्टॉफ व दोनों स्वतन्त्र गवाह को कार्यवाही की गोपनीयता रखनें की हिदायत देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया।

वक्त 11.00 ए.एम. मन निरीक्षक पुलिस मनीष वैष्णव द्वारा श्री प्रकाश कानि. के मोबाइल से परिवादी के मोबाईल पर वार्ता करवाकर आरोपी श्री चतराराम की थाने में उपस्थिति के बारे मे पता करवाया गया तो परिवादी ने बताया कि आरोपीगण श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक व श्री ध्रुवप्रसाद थानाधिकारी पुलिस थाने मे ही उपस्थित है। जिस पर आज ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। जिस पर दोनों गवाहान को कार्यालय मे समय 01.30 पी.एम. पर उपस्थित होने की हिदायत दी गई।

वक्त 01.30 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाह श्री सुरेन्द्रसिंह व श्री दिनेश भाटी कार्यालय में उपस्थित आये।

वक्त 01.35 पी.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63, श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 श्री रूपसिंह कानि. 583, श्री मगराज कानि.141, श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265, श्री छैलाराम कानि.46 मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री दिनेश भाटी श्री सुरेन्द्रसिंह सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक श्री प्रेमसिंह कानि.535 एवं ब्यूरो के ट्रेप बॉक्स, लपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय की अलमारी से कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली एवं रिश्वति राशि 80,000 का सफेद लिफाफा निकलवाकर रिश्वत राशि के सफेद लिफाफे को सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड की दराज में रखवाकर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट जोधपुर से पुलिस थाना सायला जिला जालोर के लिए रवाना हुए।

वक्त 10.40 पी. एम. पर फिरकर उपरोक्त के गये हुए मन मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री दिनेश भाटी श्री सुरेन्द्रसिंह मय ब्यूरो स्टाफ जरिये सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक श्री प्रेमसिंह कानि.535 एवं ब्यूरो के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली सहित मय रिश्वति राशि 80,000/रूपये के लिफाफा के कस्बा सायला जिला जालोर से वक्त 08.58.पी.एम. पर रवाना होकर आसोतरा धाम जिला बाडमेर स्थित धर्मशाला पहुचे। आज के हालात इस प्रकार से है कि स्पेशल यूनिट जोधपुर से समय 01.35 पी.एम. पर रवाना होकर समय करीब 04.50 पी.एम. पर पुलिस थाना सायला के पास पहुचे। जहा पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री मोडसिंह निजी मोटर साईकिल सहित उपस्थित मिला। सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड की दराज से रिश्वति राशि 80,000 रूपये का सफेद लिफाफा गवाह श्री सुरेन्द्रसिंह से निकलवाकर लिफाफें से राशि निकलवाकर परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवा कर लिफाफें को जला कर नष्ट करवाया गया। तथा गवाह श्री सुरेन्द्रसिंह के दोनों हाथ साफ पानी से धुलवाये गये। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस

द्वारा कानि. श्री प्रकाश नम्बर 265 से डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर ऑन करवाकर परिवादी श्री मोडसिंह को सुपर्द कर मोटर साईकिल सें पुलिस थाना सायला के लिए रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरों स्टाफ के पुलिस थाना सायला के आसपास सरकारी वाहन कों गोपनीय स्थान पर खडा करवाकर अपनी उपस्थिति छिपातें हुए परिवादी के गोपनीय ईशारें के इन्तजार में मुकीम रहे। कुछ समय पश्चात् परिवादी मय मोटरसाईकिल सें बिना गोपनीय ईशारें किये हुए पुलिस थाना सायला से बाहर आया। जिससे प्रकाश कानि. से डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर परिवादी से लेकर स्वीच ऑफ करवाया गया। परिवादी नें मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि पुलिस थाना सायला में चतराराम सहायक उप निरीक्षक अपनें सरकारी आवास में उपस्थित मिला। जिससे मेरी बातचीत हुई। दौरानें वार्ता मेरे द्वारा रिश्वति राशि लेकर आनें का कहनें पर उसनें कहा कि तेरे चौराउ गांव स्थित प्लॉट पर ही आ रहा हूं। वही पर रिश्वति राशि लूंगा। श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक के रिश्वति राशि लेनें पर श्री ध्रुवप्रसाद थानाधिकारी की दस्तायाबी हेतु श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 व श्री छेलाराम कानि. को सायला कस्बा में ही पुलिस थानें के आसपास गोपनीय रूप से खड़ा करवाया गया। श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक के द्वारा रिश्वति राशि लेन देन परिवादी के चौराउ गांव स्थित प्लॉट पर लेनें के कारण मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री मोडसिंह के साथ श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 को मोटर साईकिल से रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय शेष ब्यूरों स्टाफ के सरकारी वाहन सें कस्बा सायला से चौराउ के लिए रवाना हुए। ग्राम चौराउ पहुंचकर श्री प्रकाश कानि. कों डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपर्द कर कानि. श्री भंवरलाल नम्बर 501, श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 व परिवादी को परिवादी के प्लॉट पर रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरों जाब्ता व स्वतन्त्र गवाह के सरकारी वाहन में ही रिश्वति राशि लेन देन के लिए परिवादी के प्लॉट के आसपास ही गोपनीय स्थान पर मुकीम रहे। समय करीब 05.45 पी.एम. पर परिवादी के मोबाईल नम्बर पर आरोपी श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक का फोन आया और बताया कि मैं प्लॉट पर ही आ रहा हूं। उक्त वार्ता को श्री प्रकाश कानि. द्वारा डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद प्रकाश कानि. द्वारा मन् निरीक्षक पुलिस को उक्त वार्ता होना अवगत कराया गया। इसके बाद श्री प्रकाश कानि. नें परिवादी को डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर ऑन कर आरोपी के प्लॉट पर आनें के इन्तजार मे मुकीम हुए। कुछ ही देर बाद आरोपी श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक मय तीन पुलिस स्टाफ के पुलिस थानें के सरकारी वाहन बोलेरो से परिवादी के ग्राम चौराउ स्थित प्लॉट पर उपस्थित आया। परिवादी से कुछ देर बातचीत करके सरकारी वाहन से बिना रिश्वति राशि लियें ही रवाना हो गया। परिवादी से श्री प्रकाश कानि. द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर बन्द किया गया। श्री मोडसिंह परिवादी नें मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक को मैनें रिश्वत राशि देनें की कोशिश की तों उसनें बताया कि बाद में या कल या शाम को 08.30 पी.एम. पर पुलिस थानें में सायला मे आकर रिश्वत राशि देने को कहा। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरों स्टाफ, स्वतन्त्र गवाहान के सरकारी वाहन व परिवादी श्री मोडसिंह के ग्राम चौराउ सें कस्बा सायला पहुंचे। और गोपनीय रूप सें समय 08.30 पी.एम. के इन्तजार में मुकीम रहे। समय करीब 08.33 पी.एम. के सायला कस्बे में बरसात हो जानें के कारण परिवादी को थाना पर भिजवाया जाना सम्भव नही होनें से परिवादी के मोबाईल नम्बर 9823483002 से आरोपी श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 7976089265 पर कॉल करवाकर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री प्रकाश कानि. से ऑन करवाकर वार्ता रिकॉर्ड करवाई गई। जिसमें आरोपी नें बताया कि मै किसी कार्यवश ग्राम धानसा आ गया हूं। कल दिनांक 06.08.2022 को रिश्वति राशि लेनें के लिए बुलाया। उक्त वार्ता की आईन्दा फद ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। जिस पर गवाह श्री सुरेन्द्रसिंह सें परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखी गई रिश्वति राशि 80,000 रुपयें को बाहर निकलवाकर को सफेद लिफाफे में डलवाकर सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड की दराज में रखवाई गई। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस नें परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता की हिदायत देकर कल दिनांक 06.08.2022 का समय 09 ए.एम. पर उपस्थित होनें की हिदायत देकर उसकी निजी मोटर साईकिल से रूखसत किया गया। समय 09 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरों जाब्ता व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के मय डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली, लेपटॉप ईत्यादि मय ट्रेप बॉक्स के कस्बा सायला से रात्रि विश्राम हेतु आसोतरा जिला बाडमेंर के लिए रवाना होकर समय 10.40 पी.एम. पर आसोतरा पहुंचे। आसोतरा पहुंचकर आसोतरा ब्रहमा धाम के पास ही धर्मशाला मे मय ब्यूरों जाब्ता व स्वतन्त्र गवाह के रात्रि विश्राम आसोतरा में किया गया। रिश्वति राशि 80,000 रूपयें का सफेद लिफाफा मन् निरीक्षक पुलिस नें अपनी अभिरक्षा मे रखा गया।

दिनांक 06.08.2022 वक्त 07.05 ए.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63, श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501, श्री रूपसिंह कानि. 583, श्री मगराज कानि.141, श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265, श्री छैलाराम कानि.46 मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री दिनेश भाटी, श्री सुरेन्द्रसिंह सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक श्री प्रेमसिंह कानि.535 एवं ब्यूरों के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली एवं रिश्वति राशि 80,000 का सफेद लिफाफा सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड की दराज में रखवाकर आसोतरा धाम स्थित धर्मशाला से पुलिस थाना सायला जिला जालोर के लिए रवाना हुए।

दिनांक 07.08.2022 वक्त 01.00 ए.एम. पर फिकरा उपरोक्त के गये हुए मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री दिनेश भाटी, श्री सुरेन्द्रसिंह मय ब्यूरो स्टाफ जरिये सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक श्री प्रेमसिह कानि.535 एवं ब्यूरों के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली सहित मय रिश्वति राशि 80,000/रूपये के लिफाफा के कस्बा सायला जिला जालोर से वक्त 08.05.पी.एम. पर रवाना होकर एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर पहुंचे। हालात इस प्रकार से है कि दिनांक 06.08.2022 को समय 07.05 ए.एम. पर आसोतरा धाम से सरकारी वाहन से मय ब्यूरों स्टाफ के रवाना होकर समय करीब 09 ए.एम. पर ग्राम बावतरा के बाहर ओरण के पास पहुंचे। जहां पर कुछ समय बाद परिवादी श्री मोडसिंह अपनी निजी मोटरसाईकिल से निर्देशानुसार उपस्थित आया। परिवादी नें बताया कि मेरे चौराउ स्थित प्लॉट पर अब लेन देन के लिए आरोपी नही आयेगा। मेरे नीम्बडिया बेरे पर आ जायेगा क्योंकि इससे पूर्व भी दो बार मेरे बेरे पर आ चुका है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस नें परिवादी के बेरे पर ही रिश्वति राशि लेन देन की कार्यवाही किये जानें का निर्णय लेकर मय् परिवादी के उसकी निजी मोटर साईकिल से मय ब्यूरों स्टाफ के सरकारी वाहन से परिवादी के नीम्बडिया बेरे पर पहुंचा। सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड की दराज से रिश्वति राशि 80,000 रूपयें का सफेद लिफाफा गवाह श्री सुरेन्द्रसिंह से निकलवाकर लिफाफें में राशि निकलवाकर परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवा कर लिफाफें को जला कर नष्ट करवाया गया। तथा गवाह श्री सुरेन्द्रसिंह के दोनों हाथ साफ पानी से धुलवाये गये। समय 11.04 ए.एम. पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9828483002 से आरोपी श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 7976089265 पर कॉल करवाकर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री प्रकाश कानि. से ऑन करवाकर वार्ता रिकॉर्ड करवाई गई। जिसमें परिवादी नें आरोपी श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक कों कहा कि आप बेरे पर ही आ जाना। इसके बाद सभी परिवादी मोडसिंह के बेरे पर ही आरोपी श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक के इन्तजार में मुकीम रहे। समय 01.04 पी.एम. पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9828483002 पर आरोपी श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 7976089265 से कॉल आनें पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री प्रकाश कानि. से ऑन करवाकर वार्ता रिकॉर्ड करवाई गई। जिसमें आरोपी श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक द्वारा परिवादी को कहा कि आप रोड पर आ जाना। परिवादी नें कहा कि रिश्वति राशि पत्नि के पास रखी हुई हैं। इसलियें आप ही आ जाओं। समय 01.11 पी.एम. पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9828483002 पर आरोपी श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 7976089265 से पुनः कॉल आनें पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री प्रकाश कानि. से ऑन करवाकर वार्ता रिकॉर्ड करवाई गई। जिसमें आरोपी नें कहा कि आप रोड पर नही आये। जिस पर परिवादी नें कहा कि मेरी पत्नि बेरे पर अभी आई नही है। जिस पर सहायक उप निरीक्षक नें कहा कि मै सुराणा, पूनडाउ की तरफ जा रहा हू। देरी तक आउगा। आप चौराउ या सडक पर आ जाना। उक्त सभी वार्ता की आईन्दा ट्रासंक्रिप्ट तैयार की जावेगी। समय करीब 03.30 पी.एम. पर परिवादी के बेरे से मय परिवादी के व ब्यूरों स्टाफ के सरकारी वाहन व मोटर साईकिल से चौराउ की तरफ रवाना होकर चौराउ ग्राम के बाहर ही गोपनीय रूप से आरोपी श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक के इन्तजार में खडे हो गये। कार्यवाही के दौरान ही चौराउ ग्रामवासियों कों एसीबी की कार्यवाही की शंका होनें पर उन्होनें पुलिस थाना सायला में फोन करके पुलिस जाब्ता को ग्राम चौराउ में बुला लिया। जिस पर पुलिस जाब्ता एसीबी की टीम के पास आया। पुलिस जाब्तें को ग्राम वासियों की भीड हो जानें पर पुलिस जाब्ता द्वारा एसीबी टीम कों पुलिस थानें चलनें के लिए कहा गया तों मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पुलिस टीम के साथ आये एक हैड कानि. को अपना व हमराईन का परिचय दिया गया और बताया कि हम किसी सरकारी कार्मिक के विरूद्व कार्यवाही हेतु ग्राम चौराउ में इन्तजार कर रहे हैं। जिसके बाद पुलिस जाब्ता पुलिस थानें रवाना हो गया। एसी स्थिति में अब पुलिस थानें के सहायक उप निरीक्षक द्वारा रिश्वति राशि लेनें हेतु परिवादी के पास आना संभव नही है। जिस पर समय 08.00 पी.एम. पर ग्राम चौराउ से रवाना होकर मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो स्टाफ व दोनों स्वतन्त्र गवाह व परिवादी के मय सरकारी वाहन व मोटरसाईकिल से समय करीब 08.08 पी.एम. पर सायला के बाहर पहुंचा। जहां पर परिवादी की पेन्ट की दाहिनी जेब में रखी गई रिश्वति राशि 80,000 रूपयें को गवाह श्री सुरेन्द्रसिंह से निकलवाकर एक सफेद लिफाफे में रखवा कर सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड की दराज मे रखवाई गई। इसके बाद परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता की हिदायत दी गई। आरोपी का पुनः रिश्वति राशि बाबत फोन आनें पर मन निरीक्षक पुलिस को अवगत करानें की हिदायत दी जाकर परिवादी को उसकी निजी मोटर साईकिल से उसके घर के लिए रूखस्त किया गया। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो स्टाफ व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सरकारी वाहन से मय लेपटॉप प्रिन्टर, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर, ट्रेप बॉक्स व रिश्वत राशि 80,000 रूपयें के सफेद लिफाफा जो गाडी की डेस्क बोर्ड की दराज मे रखे हुए है, के समय करीब 08.15 पी.एम. पर रवाना होकर दिनांक 07.08.2022 को समय 01 ए.एम. पर स्पेशल यूनिट जोधपुर पहुचे। दोनों स्वतन्त्र गवाह को कार्यवाही की गोपनीयता बरतनें की हिदायत देकर कार्यालय से रूखसत किया गया। रिश्वत राशि के सफेद लिफाफे एवं डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर को मन् निरीक्षक पुलिस ने कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रख कर चाबी अपनें पास रखी।

दिनांक 07.08.2022 वक्त 07.20 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री मोडसिंह कार्यालय में उपस्थित आया। रात्रि होनें से अब कोई कार्यवाही होना संभव नही होनें के कारण परिवादी को अपने किसी परिचित के वहां जानें हेतु कार्यालय से रूखस्त किया गया और हिदायत दी गई कि कल दिनांक 08.08.2022 कों समय 10.15 ए.एम. पर कार्यालय हाजा उपस्थित आवें ताकि परिवादी व रूबरू गवाहान के समक्ष रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वति राशि लेन देन से पूर्व की वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्टें तैयार की जावेगी। साथ ही जरिये फोन दोनों स्वतन्त्र गवाहान को भी कल दिनांक 08.08.2022 को समय 10.15 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होनें की हिदायत दी गई।

दिनांक 08.08.2022 वक्त 10.15 ए.एम.पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री दिनेश भाटी व श्री सुरेन्द्रसिंह व परिवादी श्री मोडसिह कार्यालय एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर पर उपस्थित आयें हैं। वक्त 10.20 ए.एम. पर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री मोडसिंह एवं आरोपी श्री ध्रुवप्रसाद पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना सायला जिला जालोर एवं श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना सायला जिला जालोर के मध्य दिनांक 03.08.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू हुई वार्ता रिकॉर्ड है, उक्त वार्ता कों दोनो गवाहान व परिवादी श्री मोडसिंह के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी श्री मोडसिंह के समक्ष सुन व समझकर शब्द, बशब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता श्री देवाराम कानि.नम्बर 373 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। आरोपी श्री ध्रुवप्रसाद पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना सायला जिला जालोर एवं श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना सायला जिला जालोर एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री मोडसिंह द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आरोपीगण श्री ध्रुवप्रसाद निरीक्षक पुलिस व श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की चार सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपडे की अलग अलग थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की तीन सीडी को डब सीडी मानते हुए खुली हालात मे रखी गई। तीन डब सीडी में से एक सीडी अनुसधान अधिकारी के अनुसंधान प्रयोजनार्थ तैयार की गई है एवं दो सीडीयां आरोपीगण के लिए तैयार की गई। उक्त सीडीयों को श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर जमा मालखाना की गई।

वक्त 12.40 पी.एम. पर परिवादी एव दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमे दिनांक 05.08.2022 को परिवादी श्री मोडसिंह व आरोपी श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना सायला जिला जालोर के मध्य पुलिस थाना सायला में रूबरू वार्तालाप, दिनांक 05.08.2022 को समय 05.45 पी.एम. पर आरोपी श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 7976089265 से परिवादी के मोबाईल नम्बर 9828483002 पर परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई वार्ता, दिनांक 05.08.2022 को परिवादी श्री मोडसिंह व आरोपी श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक के मध्य परिवादी के चौराउ स्थित प्लॉट पर हुई रूबरू वार्ता, दिनाक 05.08.2022 को समय 08.38 पी.एम. पर परिवादी श्री मोडसिंह के मोबाईल नम्बर 9828483002 से आरोपी श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 7976089265 पर परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई वार्ता, दिनांक 06.08.2022 को समय 11.04 ए.एम. पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9828783002 से आरोपी श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 7976089265 पर मोबाईल पर हुई वार्ता जो परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई वार्ता, दिनांक 06.08.2022 को समय 01.04 पी.एम. पर आरोपी श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 7976089265 से परिवादी के मोबाईल नम्बर 9828783002 पर मोबाईल पर हुई वार्ता जो परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई वार्ता, दिनांक 06.08.2022 को समय 01.11 पी.एम. पर आरोपी श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 7976089265 से परिवादी के मोबाईल नम्बर 9828483002 पर हुई मोबाईल वार्ता जो परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता रिकॉर्ड है, उक्त वार्ताओं कों दोनो गवाहान व परिवादी श्री मोडसिंह के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी श्री मोडसिंह के समक्ष सुन व समझकर शब्द, बशब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता श्री देवाराम कानि.नम्बर 373 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना सायला जिला जालोर एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री मोडसिह द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आरोपी श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की चार सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपडे की अलग अलग थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की तीन सीडी को डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रखी गई। तीन डब सीडी में से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान

प्रयोजनार्थ तैयार की गई है एवं दो सीडीयां आरोपीगण के लिए तैयार की गई। उक्त सीडीयों को श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर जमा मालखाना की गई।

वक्त 04.30 पी.एम.पर परिवादी श्री मोडसिंह नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट जोधपुर को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि आरोपीगण श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक व श्री ध्रुवप्रसाद थानाधिकारी पुलिस थाना सायला जिला जालोर को एसीबी की कार्यवाही की भनक लग चुकी है। अब कार्यवाही होना संभव नही है। जिस पर मुझे रिश्वत राशि हेतु मेरे द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु पेश की गई 80,000 रूपयें राशि मुझे लौटानें की कृपा करे। जिस पर रूबरू गवाहान के श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित अलमारी में रखी रिश्वत राशि 80,000 रूपयें के सफेद लिफाफें में रखी राशि को लिफाफे से बाहर निकाल कर गिन कर गवाह श्री दिनेश भाटी से परिवादी श्री मोडसिंह को लौटाई गई। परिवादी से राशि प्राप्ति की प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 08.08.2022 वक्त 05.00 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री दिनेश भाटी व श्री सुरेन्द्रसिंह व परिवादी श्री मोडसिंह को अब कार्यवाही में आवश्कता नही होनें पर कार्यालय से रूखस्त किया गया।

आरोपीगण श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना सायला जिला जालोर एवं श्री ध्रुवप्रसाद पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना सायला जिला जालोर द्वारा परिवादी से दिनांक 05.08.2022, दिनांक 06.08.2022 को 80,000 रूपयें रिश्वति राशि परिवादी से लेने की कोशिश की गई परन्तु परिवादी पर शक हो जानें के कारण रिश्वति राशि लेन देन नही हो पाया।

ब्यूरों मुख्यालय से प्रकरण पंजीबद्व का निर्णय होने पर आरोपीगण का सेवा विवरण पुलिस अधीक्षक जिला जालोर से प्राप्त किया गया तों आरोपी श्री चतराराम सहायक उप निरीक्षक का सेवा विवरण के अनुसार नाम छतराराम सहायक उप निरीक्षक होना पाया गया है।

अतः अब तक की कार्यवाही से आरोपीगण श्री छतराराम सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना सायला जिला जालोर एवं श्री ध्रुवप्रसाद पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना सायला जिला जालोर द्वारा परिवादी श्री मोडसिंह के विरूद्व दर्ज प्रकरण संख्या 118/2021 पुलिस थाना सायला में मदद करनें की एवज में पूर्व में एक लाख रिश्वति राशि की मांग करना एवं दौरानें मांग सत्यापन दिनांक 03.08.2022 को परिवादी श्री मोडसिंह द्वारा कुछ कम का कहनें पर 80,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग अवैध तरीके से वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध परितोषण ग्रहण करने की नियत से मांग करना अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवम 120 बी भा.द.स. का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपीगण श्री छतराराम पुत्र श्री रतनाराम निवासी ग्राम गोंग थाना रानीवाड़ा जिला जालोर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना सायला जिला जालोर एवं श्री ध्रुवप्रसाद पुत्र श्री भंवरलाल निवासी ग्राम तेजमालता वाया सांगड जिला जैसलमेर हाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी, पुलिस थाना सायला जिला जालोर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवम 120 बी भा.द.स. के अन्तर्गत दंडनीय अपराध होने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन ब्यूरों मुख्यालय जयपुर प्रेषित है।

भवदीय

(मनीष वैष्णव)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
स्पेशल यूनिट जोधपुर

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनीष वैष्णव, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री छतराराम, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, थाना सायला, जिला जालोर एवं 2. श्री ध्रुवप्रसाद, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना सायला, जिला जालोर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 343/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक:- 2989-94 दिनांक 31.8.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला जालोर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
6. अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर।

31.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।